छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
(मंत्रालय)
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

---0---

क्रमांक **ESTB-101(4)/97/2025-A.H.** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06-04-2026

प्रति,

संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें,
संचालनालय, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0।

विषयः-विभिन्न पदों की शैक्षणिक अर्हता निर्धारण विषय।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक-RULE/297/2025-GAD-3, दिनांक 24.03.2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ अतः निर्देशानुसार पत्र में उल्लेखित अनुसार परीक्षण कर, आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
MARTIN LAKRA
Date: 06-04-2026
14:29:30

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

क्र.**RULE/297/2025-GAD-3** नवा रायपुर, दिनांक 24-03-2026
प्रति.

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

विषय:- विभिन्न पदों की शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विषयक ।

--- 000 ---

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयांतर्गत, **समान पद/समान अर्हताएं निर्धारण संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किये गये परिपत्र का प्रारूप संलग्न प्रेषित है।** उक्त संलग्न परिपत्र पर, अपना **अभिमत 07 दिवस के भीतर इस विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

नियत समयावधि पर अभिमत प्राप्त न होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि समान पद/समान अर्हता संबंधी जारी किये जाने वाले परिपत्र से आप सहमत है।
संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
RAJENDRA PRASAD TRIPATHI
Date: 24-03-2026 16:22:10

(आर.पी. त्रिपाठी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक नवा रायपुर, दिनांक

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषयः- विभिन्न पदों की शैक्षणिक अर्हता का निर्धारिण विषयक।

संदर्भः- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2008/1-3, दिनांक 01.02.2013 एवं दिनांक 03.02.2022 तथा क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3, दिनांक 24.12.2025।

---00---

राज्य शासन एतद् द्वारा शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं भृत्य/चौकीदार की निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता संबंधी **संदर्भित परिपत्रों को निरस्त करते हुए**, निम्नलिखित सीधी भर्ती के पदों को **कॉलम क्र. (5)** में दर्शाये अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है:-

स.क्र.	**पद का नाम**	**सेवा समूह**	**तकनीकी/ गैर-तकनीकी**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**	**रिमार्क**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केमिस्ट	समूह-एक	गैर तकनीकी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. रसायन शास्त्र (एनालिटिकल एक विषय के रूप में) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण।	वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग एवं श्रम विभाग के लिए।
2.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	समूह-एक	गैर तकनीकी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/ गणित/अर्थशास्त्र/ वाणिज्य अथवा	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

				कृषि में से किसी एक विषय में कम से कम द्‌वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए।
3.	सहायक प्रोग्रामर	समूह-दो	तकनीकी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/ सूचना प्रौद्‌योगिकी) /एम.सी.ए. या समकक्ष उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्‌योगिकी में बी.ई./बी.टेक या समकक्ष उपाधि।	समस्त विभाग
4.	उप अभियंता (सिविल)	समूह-दो	तकनीकी	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	समस्त निर्माण विभागों/ जिस विभाग में पद स्वीकृत हों।
	उप अभियंता (वि./यां.)	समूह-दो	तकनीकी	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	
5.	सहायक श्रम पदाधिकारी	समूह-दो	गैर तकनीकी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से स्नातक उत्तीर्ण।	श्रम विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्‌य विभाग, कृषि विकास एवं कि.क. विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए।
6.	श्रम निरीक्षक				
7.	श्रम उप निरीक्षक				
8.	सहकारिता विस्तार अधिकारी				
9.	सहकारिता निरीक्षक				
10.	उप अंकेक्षक				

11.	खाद्य निरीक्षक				
12.	मण्डी निरीक्षक				
13.	पर्यवेक्षक				
14.	शीघ्रलेखक	समूह-दो	गैर तकनीकी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से - **(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए-** हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। **(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए-** अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। **(ग) द्विभाषी- शीघ्रलेखक के लिए-** ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री की	समस्त विभाग

				गति 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
15.	डाटा एंट्री ऑपरेटर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	समूह-दो	गैर तकनीकी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।	समस्त विभाग
16.	स्टेनो टायपिस्ट	समूह-दो	गैर तकनीकी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (4) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के	समस्त विभाग

				माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।	
17.	सहायक ग्रेड-3	समूह-दो	गैर तकनीकी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 (Key) की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (4) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।	समस्त विभाग
18.	वार्डन	समूह-दो	गैर तकनीकी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	खेल एवं युवा कल्याण विभाग
19.	अंकेक्षक				
20.	स्टोर कीपर				
21.	सहायक मानचित्रकार	समूह-तीन	तकनीकी	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण	जिस विभाग में पद स्वीकृत हो।

				तथा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल/ सिविल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से ड्राफ्टसमेन ट्रेड का प्रमाण पत्र। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।	
22.	अनुरेखक	समूह-तीन	तकनीकी	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) आईटीआई से ड्राफ्टसमेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण (3) कम्प्यूटर का ज्ञान	जिस विभाग में पद स्वीकृत हो।
23.	वाहन चालक	समूह-तीन	तकनीकी	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी वाहन चालन का लाईसेंस।	समस्त विभाग।
24.	प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट/ प्रयोगशाला परिचारक)	समूह-तीन	गैर तकनीकी	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान सहित) में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, कृषि विभाग, उच्च शिक्षा विभाग
25.	पटवारी	समूह-तीन	गैर तकनीकी गैर तकनीकी	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आदिम जाति, अनुसूचित

					जनजाति विकास विभाग
26.	छात्रावास अधीक्षक			(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग
27.	आरक्षक	समूह-तीन	गैर तकनीकी	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक अर्हताएं।	गृह (पुलिस)/ जेल/परिवहन विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, वन विभाग
28.	जेल प्रहरी				
29.	वनरक्षक				
30.	भृत्य	समूह-चार	गैर तकनीकी	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।	चतुर्थ श्रेणी के पद, जिन विभागों में स्वीकृत हो।
31.	चौकीदार				
32.	चैनमेन				
33.	प्रोसेस सर्वर				
34.	स्वीपर				
35.	माली (गार्डनर)				
36.	केयर टेकर				
37.	रसोईया/ अर्दली				
38.	हेल्पर				

2/ इस परिपत्र के जारी होने के फलस्वरूप प्रशासकीय विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अत: जब तक प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती, तब तक **समस्त विभागों के भर्ती नियम स्वमेव संशोधित माने जायेंगे** तथा आगामी जारी होने वाले विज्ञापनों में उक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही भर्ती की कार्यवाही की जावे।

3/ पदों के समूहों का वर्गीकरण केवल समान अर्हता के दृष्टि से किया गया है, इसका वेतनमान से कोई संबंध नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रजत कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक नवा रायपुर, दिनांक
प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
6. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
7. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
9. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़
10. नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर
11. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
12. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
13. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
14. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर साधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17. आदेश फोल्डर।

उप सचिव